

815) 23 प्रवाली पेश हुई पीठासीन अधिकारी...
है। गत आदेशों की पालना में दिनांक... 21-6-23
को पेश हो।

रिपोर्ट

21-6-23 प्रवाली पेश हुई। वकील शाही उपर प्राप्ता
पत्र में रिपोर्ट वहीलदार निम्नीता से
पूर्व से 21-11-22 को प्राप्त है। प्राप्ता
पत्र वकील शाही / जय शाही को सुत्र
गया। प्राप्ता पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज
रिपोर्ट वहीलदार निम्नीता का अभिलेख
क्रिया गया। निम्नी वकील शाही का
प्राप्ता पत्र वहीलदार निम्नीता को पेश है।
अतः प्राप्ता पत्र वहीलदार निम्नी
पाल है। निम्नी पत्र से लिखा गया
शा 0 निम्नी निम्नी नाम। प्रवाली पत्र
प्राप्ता का निम्नी पत्र है। वहीलदार
निम्नीता की वहीलदारी है।

उपरोक्त अधिकारी
साक्षात् निम्नी वीसा (राज)

यालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :- 68/2022

पीठारीन अधिकारी

रज्जू दिनांक : 18-11-2022

श्री वृजेन्द्र गीना (आर.ए.एस.)

भारतसिंह उर्फ भूपेन्द्रसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपुत निवारी झांपदा तहसील
निर्झरना जिला दौसा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निर्झरना जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)


प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती बाबत

(अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

निर्णय

दिनांक : 21-6-23

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0
562/143 रकबा 1.5300 हैक्टेयर, खसरा नं0 570/143 रकबा 0.6233
हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.1626 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम झांपदा
तहसील निर्झरना जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है।
आराजी वादग्रस्त की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी भारतसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति
राजपुत के नाम से है। जबकि प्रार्थी के भारतसिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह के नाम से
जाना जाता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर ऋण, किसान क्रेडिट
कार्ड रहन रखकर राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी योजनाओ को लाभ प्राप्त
करने से वंचित रह रहा है। इस कारण प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मे
भारतसिंह दर्ज हो रहा है के साथ भूपेन्द्रसिंह दुरुस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी
है। ग्राम पंचायत झांपदा में प्रार्थी भारतसिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह के अलावा अन्य
कोई व्यक्ति नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10-02-2021
को प्रमाण पत्र में भी भारतसिंह उर्फ भूपेन्द्रसिंह एक ही व्यक्ति होना माना है।
प्रार्थी दिनांक 07-11-2022 को किसान क्रेडिट बनवाने के लिए पटवारी हल्का
के पास जमाबन्दी की नकल लेने पर पटवारी हल्का ने बताया कि आपके आधार
कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे भूपेन्द्रसिंह का नाम है जबकि


उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

खातेदारी मे भारतसिंह के नाम से है इस कारण भारतसिंह के साथ उर्फ भूपेन्द्रसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम झांपदा तहसील निर्झरना का नाम दुरुस्त बाबत प्रार्थना पत्र उपजिलाधीश लालसोट के यहां पेश कर दुरुस्त करवाओ। प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में भारतसिंह दर्ज हो रहा है जबकि अन्य दस्तावेजात में भूपेन्द्रसिंह हो रहा है को दुरुस्त किया जाकर भारतसिंह उर्फ भूपेन्द्रसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम झांपदा तहसील निर्झरना दुरुस्त फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार लालसोट से दुरुस्त इन्द्राज बाबत रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसील लालसोट ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 562/143 रकबा 1.5300 हैक्टेयर, खसरा नं0 570/143 रकबा 0.6233 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.1626 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम झांपदा तहसील निर्झरना जिला दौसा वाली मे प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में भारतसिंह दर्ज हो रहा है जबकि अन्य दस्तावेजात में भूपेन्द्रसिंह हो रहा है को दुरुस्त किया जाकर भारतसिंह उर्फ भूपेन्द्रसिंह पुत्र रेवतसिंह किया जाना उचित है जिससे वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरुस्ती इन्द्राज स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निर्झरना को आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नं0 562/143 रकबा 1.5300 हैक्टेयर, खसरा नं0 570/143 रकबा 0.6233 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.1626 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम झांपदा तहसील निर्झरना जिला दौसा में राजस्व अभिलेख जमाबंदी में हो रहे गलत अंकन भारतसिंह का दुरुस्त किया जाकर भारतसिंह उर्फ भूपेन्द्रसिंह पुत्र रेवतसिंह इस आशय की तहसीलदार निर्झरना को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक २१-६-२३ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बिजेन्द्र मीनो)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर जिलाधीश (लालसोट)